

FORM-II

(for projects other than linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector, Chamoli

No---

Dated-27/02/15

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinace of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA'. for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 1.753 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Public Works Department for Construction of Gram Kush & Kushdev Mahadev Motor Road from Km. 13 of Park K. Parkot Motor Road. in Chamoli district f within jurisdiction of Kush, Bhangota village (s) in Tharali tehsils.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.753 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexureto
- (b) the proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concered Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;
- (c) the each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. a copy of certificate issued by the garm sabha of.... villages(s) is enclosed as annexure..... to annexure.....
- (d) the discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;
- (e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (f) the rights of Primitve Tribal Groups and Pre-Agricultural communitis, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA

Eucl: As above.

(Full name and official stamp of District Collector)

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
District Chamoli (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

A meeting of the district level committee of Chamoli district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Sri Ashok Kumar I.A.S deputy commissioner, on dated 27/12/2015 at time 12.00 pm.....at Chamoli in which application claiming rights in Kush. Bhagota area measuring 1.753 hect for the Construction of Gram Kush & Kushga Mahadev Motor Road from Km. 13 of Parkal Kedarkot Motor Road. forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Tharali sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Gopeshwar.....

Dated: 27/12/2015


Deputy Commissioner/Chairman
District Level Committee

Attachement 1.6 (B)

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली में परखाल-कंदारकोट मोटर मार्ग के किमी 0 13 से ग्राम कुश व कुशदेव महादेव हेतु मोटर मार्ग के निर्माण हेतु शून्य
 हे 0 सिविल, 1.753 हे 0 वन पंचायत, कुल 1.753 हे 0
 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, थराली

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, थराली

उपखण्ड थराली परिक्षेत्र के अन्तर्गत शून्य हे 0 (हे 0

आरक्षित वन भूमि, शून्य हे 0 सिविल एवं सोयम वन भूमि, 1.753 हे 0 वन पंचायत
 भूमि, अर्थात् कुल 1.753 हे 0 वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित
 किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता)
 अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील थराली) की दिनांक 28/07/2015
 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)
 अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक
 श्री श्री वि. वि. वि. उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार
 समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार
 है।

1- श्री श्री वि. वि. वि. उपजिलाधिकारी अध्यक्ष

2- श्री श्री वि. वि. वि. उप प्रभागीय वनाधिकारी सदस्य

3- श्री श्री वि. वि. वि. सहायक समाज कल्याण अधिकारी-सदस्य / सचिव

4- श्री श्री वि. वि. वि. बी 0 डी 0 सी 0 क्षेत्र क्षेत्र पंचायत सदस्य

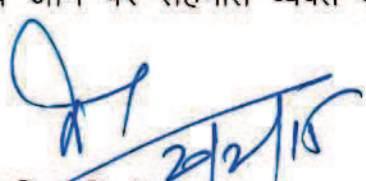
5- श्री श्री वि. वि. वि. बी 0 डी 0 सी 0 क्षेत्र वि 0 ख 0 नारायणबग 3 सदस्य

6- श्री श्री वि. वि. वि. बी 0 डी 0 सी 0 क्षेत्र सदस्य

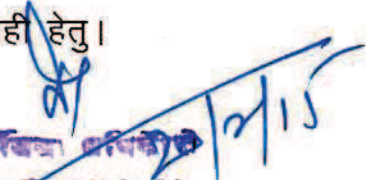
उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप
 जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत
 कराया गया कि जनपद चमोली में परखाल-कंदारकोट मोटर मार्ग के किमी 0 13 से ग्राम कुश व
 कुशदेव महादेव हेतु मोटर मार्ग के परियोजना हेतु 1.753 हे 0 वन भूमि लोक निर्माण
 विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम
 सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा
 द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा
 की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्डपरिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद चमोली में परखाल-केदारकोट मोटर मार्ग के किमी 0 13 से ग्राम कुश व कुशदेव महादेव हेतु मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु हे० वन भूमि लोक निर्माण विभाग को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।


उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील - थराली
जनपद - चमोली

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील - थराली
जनपद - चमोली

परियोजना का नाम :-

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम मंगोटा
तहसील व्याराली जिला चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के अन्तर्गत पारवाट - जेदकोट मोटरमार्ग के निर्माण हेतु 139 गांव उधु व पुरातन नदीदेव मोटरमार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (1.753 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.00 हे० सिविल सोयम भूमि... हे०, वन पंचायत भूमि 1.753 हे०) अर्थात् कुल 1.753 हे० वन भूमि का लगे नि कि विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

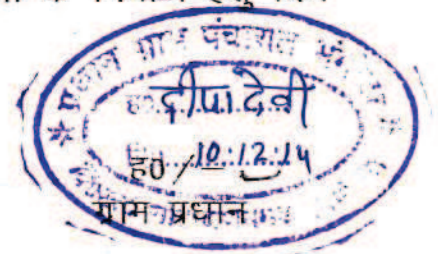
उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत मंगोटा द्वारा दिनांक 10/12/14 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम मंगोटा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि 1.753 प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-

ग्राम सचिव



नोट :- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

सत्यकाम मिश्र
सचिव, ग्राम पंचायत
मंगोटा - चमोली

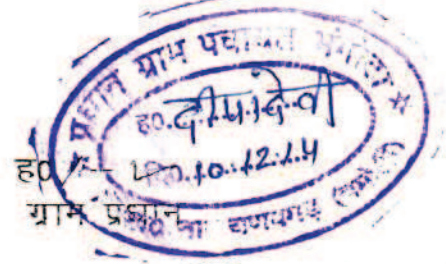
1.6

प्रपत्र-23.1

दिनांक 10.10.2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत मण्डाह

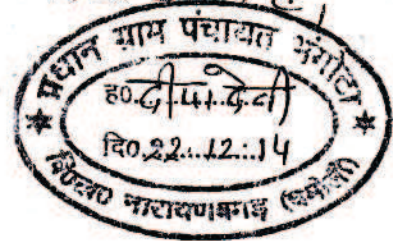
क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	राजेन्द्र सिंह	राजेन्द्र सिंह
2-	मोहन सिंह	मोहन सिंह
3-	बिलोख सिंह	बिलोख सिंह
4-	नैन सिंह	Nain Singh
5-	पान सिंह	पान सिंह
6-	वीर सिंह	वीर सिंह
7-	दवान सिंह	दवान सिंह
8-	दयाल सिंह	दयाल सिंह
9-	सुजान सिंह	सुजान सिंह
10-	रंजीत सिंह	रंजीत सिंह
11-	मोहन सिंह	मोहन सिंह
12-	कशन सिंह	कशन सिंह
13-	चरण सिंह	चरण सिंह
14-	जयदीप सिंह	Jai Deep
15-	कृष्ण सिंह	Krishna Singh
16-	गंगा सिंह	Ganga
17-	कालम सिंह	Kalam
18-	भरत सिंह	Bharat Singh
19-	पूरा सिंह	पूरा सिंह
20-	सुरजाल सिंह	सुरजाल सिंह



मण्डाह - मण्डाह
08/10/2014
मण्डाह - मण्डाह

अन्नापत्ता प्रमाण प्रत -

प्रमाणित किया जाता है कि परन्वाल चौपता मोटर मार्ग के किमी 13 से कुछ मोटर मार्ग पर ग्राम पंचायत स्थित वन पंचायत के कोई आपत्ति नहीं है, तथा विभाग द्वारा जो सर्वे की गई है उससे हमरी ग्राम सभा को कोई आपत्ति नहीं है। अतः अन्नापत्ता प्रमाण प्रत दिया जाता है।



अन्नापत्ति

Sujan Singh

Charan Singh

राजेंद्र सिंह

Jitendra

अपाल सिंह

रेखा देवी

कमला देवी

नारयण देवी

दर्शनी देवी

विशेष कृपा

पटवारी 10/11/14

बहरील 20/12/14

जिला बमोला, उ.प्र. नय.

प्रमाणित किया जाता है कि कुशा मोटर मार्ग के बनने पर ग्राम पंचायत एवं लन पंचायत की सम्पत्ति पर किसी को भी कोई आपत्ति नहीं है तथा ग्राम लना की सम्पत्ति पर मार्ग बनने पर कोई आपत्ति नहीं है,

अतः पारसम्पात प्रमाण प्रत दिया जाता है,

माना सिंह

रेखा देवी

सदस्य

Sujan Singh

कमला देवी

सि

Charan Singh

लखमा देवी

Jambher

दशनी देवी

राजेंद्र सिंह

विदेन्द्र सिंह

भूपाल सिंह

बालू सिंह



विमल कुमार

बटवारी

नाम

हमीर

धर्म

जिला

बमोली

राज्य

राज्य

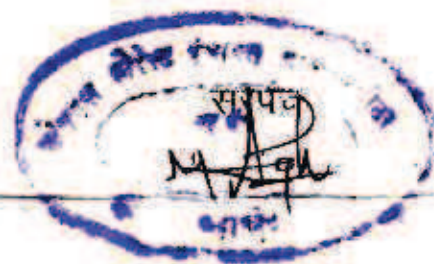
अनापत्ति प्रमाण पत्र वन पंचायत सरपंच द्वारा

सेवा में

श्रीमान अधिशासी अभियन्ता लॉ०नि०वि० थराली।

विषय:- जनाद चमोली में परखाव-वेदरलीट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1:753.30
 100 वर्ग मीटर भूमि लोक निर्माण विभाग के नाम हस्तान्तरण दिने जाने के सम्बन्ध में
 अनापत्ति प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ग्राम अगोटावन
वन पंचायत की कुल 1:753.30 भूमि का लोक निर्माण विभाग के नाम पर
 हस्तान्तरण होने में कमेटी के सदस्यों द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है। अतः
 कमेटी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।



- ① फरीन सिंह
- ② देशदेव सिंह
- ③ मरन सिंह
- ④ महेश्वर सिंह
- ⑤ रघुनाथ सिंह

करीब सिंह

S. S. S.

S. S. S.

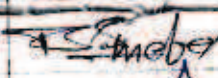
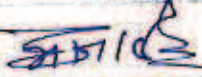
S. S. S.

24/11/2015

अनापत्ति प्रमाण पत्र कमेटी द्वारा

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 27/02/2015 को ग्राम पंचायत ~~अजित न. न.~~ ग्राम पंचायत सरपंच एवं सदस्यों व ग्रामसभा के ग्रामीणों द्वारा बैठक में प्रतिभाग किया गया। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि ~~पुरवाख निदारी सेक्टर में मोटर रोड का निर्माण हेतु 1.753 हे० वन पंचायत भूमि जो लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावित की गयी है, उक्त प्रस्तावित भूमि का लोक निर्माण विभाग के नाम पर हस्तान्तरण किये जाने पर वन पंचायत सरपंच एवं कमेटी के सदस्यों को कोई आपत्ति नहीं है।~~

अतः अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

क्र०सं०	सदस्य का नाम	हस्ताक्षर
①	कमल सिंह	
②	कमल सिंह	
③	अरुण सिंह	
④	आहन सिंह	
⑤	रघुनाथ सिंह	